



2026:AHC:181290

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -

8522 सन् 2026

मिशकिन तथा 1 अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी/विपक्षीगण

आवेदकगण हेतु अधिवक्ता

: राकेश कुमार मौर्या

विपक्षीगण हेतु अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय क्रमांक-71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

- (1) आज प्रस्तुत पूरक शपथ पत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
- (2) प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता सुने गए तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
- (3) वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 159 सन् 2025, अन्तर्गत धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना बरला, जनपद-अलीगढ़ में, इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उन्हें अग्रिम जमानत पर छोड़ा जाए, क्योंकि प्रार्थीगण को उपर्युक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।
- (4) प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण के विरुद्ध गैंग चार्ट में केवल एक ही आधार मामला दर्शाया गया है तथा उक्त मामले में, प्रार्थीगण जमानत पर हैं। प्रार्थी संख्या 1 का एक अन्य मामले का आपराधिक इतिहास है तथा प्रार्थी संख्या 2 का दो अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है। वे पूर्व दोषसिद्ध नहीं हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- (5) विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया है, तथापि, वे प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए निवेदनों का खण्डन करने में असमर्थ रहे।
- (6) मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा किए गए निवेदनों पर विचार किया है।
- (7) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रार्थीगण के विरुद्ध केवल एक ही आधार मामला दर्शाया गया है, जिसमें प्रार्थीगण जमानत पर हैं तथा इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि प्रार्थीगण पूर्व दोषसिद्ध नहीं हैं, मैं प्रार्थीगण को अग्रिम जमानत पर छोड़ना उचित समझता हूँ।
- (8) मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं प्रार्थीगण को अग्रिम जमानत पर छोड़ना समुचित समझता हूँ।
- (9) उपर्युक्त के दृष्टिगत, प्रार्थीगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
- (10) प्रार्थीगण-मिशकिन तथा सुआलिन की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें उपर्युक्त मुकदमा अपराध में अविलंब, सम्बन्धित थाने के थाना प्रभारी/सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के लिए समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर छोड़ा जाएगा: -
- i. प्रार्थीगण अपेक्षित किए जाने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ हेतु स्वयं को उपलब्ध कराएँगे;
 - ii. प्रार्थीगण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत रखने हेतु कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देंगे;
 - iii. प्रार्थीगण न्यायालय की पूर्वानुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे;
 - iv. प्रार्थीगण अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेंगे/उसे धमकाएँगे नहीं;
- (11) उपर्युक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की दशा में, सम्बन्धित न्यायालय जमानत निरस्त करने हेतु स्वतन्त्र होगा।



(12) यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियाँ अनन्य रूप से वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने हेतु हैं तथा इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

दिनांक: 31 अगस्त, 2026

ए0 पाण्डेय

(राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

Translated Version, Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।